संविधान में दलितों के लिए शिक्षा व सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी कोई अवधि नही है।

पी.एल.मीमरौठ,एडवोकेट

हमारे वरिष्ठ सहयोगी व पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह भानावत साहब ने 7 जुलाई 2015 के समाचार पत्र **'राष्ट्रदूत'** में ''आरक्षण की समीक्षा क्यों नहीं ? नामक शीर्षक से एक सम्पादकीय लेख लिखा है। आपने इस लेख में आरक्षण की वैधानिकता पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि ''संविधान के अनुसार आरक्षण व्यवस्था की हर 10 वर्ष पश्चात समीक्षा की जानी चाहये थी। आरक्षण की अवधि को बिना किसी विचार विमर्श के निरन्तर बढाया जाता रहा है एवं संविधान लागू होने के 65 वर्ष बाद भी इस व्यवस्था की समीक्षा के बजाय इस को और मजबूत किया जा रहा है। इसके क्या परिणाम हो रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है।''

मैं भानावत जी के विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ कि आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ उन्ही लोगों को मिलना चाहिए जिनके लिए संविधान में इनके शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए व्यवस्था की गई थी। देश की 65 साल की आजादी बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों व शहर कस्बों की कच्ची व झोपड पट्टी बस्तियों के वाशिन्दों तथा घुम्मकड़ जातियों के लोग नारकीय जीवन गुजार रहे हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिये।

भारतीय संविधान में मूलतः आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति व आदिवासियों के लिए की थी जो कि हजारों वर्षों से सामजिक व्यवस्था व ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक व गरिमा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुये थे और देश की प्रगति के लिए समाज को मुख्य धारा में इन वर्गो को लाना बहुत आवश्यक था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान –निमार्ताओं ने इन वर्गों के उत्थान व विकास के लिए संविधान में निम्न लिखित तीन क्षेत्रों में विशेष प्रावधान मूलभूत अधिकार के अन्तर्गत रखे :–

1. शिक्षण –संस्थाओं (सभी सरकारी अर्ध सरकारी व सहायता प्राप्त) में । इन वर्गों के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (5) में की गई है और इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है उसकी संविधान में कही कोई समय –सीमा निर्धारित

नहीं है। यह स्थाई व्यवस्था है और जब तक लागू रहेगी जब तक कि ये उपेक्षित वर्ग समाज के अन्य उच्च वर्गों के शैक्षणिक स्तर तक नहीं पहुँच जाते।

2. इसी तरह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्गों को सरकारी व राजकीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने का विशेष प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 16(4) में विस्तृत रूप से मूलभूत अधिकार के रूप में अंकित किया हुआ है। संविधान में इस प्रावधान की भी काई समय सीमा नहीं रखा गई है। हालांकि इस राजकीय सेवाओं में आरक्षण को लेकर पूरी आरक्षण व्यवस्था को भोंटा कर दिया है तथा इस उदारीकरण के युग में सरकारें, तदर्थ नियुक्तिया, कर संविदा के आधार पर तथा आस्मिक कर्मचारी भर्ती कर इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करती जा रही है। इस से इन वर्गो का प्रतिनिधत्व सरकारी व राजकीय सेवाओं में कम होता जा रहा है।

संविधान में उपरोक्त दोनों आरक्षण प्रावधानों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई और इनको समाप्त करने की दृष्टि से समीक्षा करने का भी कोई प्रावधान नही है। यह अवश्य है कि इन दोनों आरक्षणों की सही तरह से सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को आधार बना कर क्रियान्वयन करने हेतु समय समय पर इनकी समीक्षा अवश्य करनी चाहिए।

3 तीसरा व महत्वपूर्ण राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के अन्तर्गत की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार लोकसभा (संसद) व राज्य की विधान सभाओं के आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। संविधान में इस राजनैतिक आरक्षण के लिए शुरू शुरू में 10 वर्ष की अवधि रखी गई थी परन्तु कालान्तर में इस राजनैतिक आरक्षण को हर दस साल बाद संविधान में संशोधन करके बढाया जाता रहा है और अब यह राजनैतिक आरक्षण व्यवस्था 2020 तक है।

संविधान निर्माताओं विशेष कर डॉ. अम्बेडकर ने यह राजनैतिक व्यवस्था इस लिए रखी थी कि दलित पूरे देश में बिखरे हुए है और वे दलितों के मतों के बलबूते पर संसद और विधान सभा का चुनाव नही जीत पायेगें। परन्तु दलितों के हितों की सुरक्षा और पैरवी करने के लिए उनका लोकसभा व विधान सभाओं में होना जरूरी है। परन्तु यह सब उल्टा हुआ है आज आरक्षित सीटों से जीतकर आने वाले सांसद व विधायक दलित हितों के लिए मौन और उदासीन रहते है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल तें दलितों के लिए तड़प नहीं है, इन में से कई संवेदनशील भी है और दिल में दर्द भी रखते है परन्तु उनकी विवशता है। सभी राजनैतिक दल वोट–बैंक को ध्यान में रखकर उन पर कड़ा अनुशासन व विहप

की तलवार लटका कर रखते है। उनके चुनाव क्षेत्र के दबंग व बहु संख्यक उच्च वर्ग के लोग उन पर दबाव डाले रखते है। यदि इनमें से किसी ने दलितों के हित की पैरवी के लिए सक्रियता से काम करने की कोशिश की तो या तो दलों द्वारा उसे हाशिये में डाल दिया जाता है या फिर आगामी चुनावों में टिकट काट दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां दबंग और सक्षम दलित राज नेताओं को पगुं बनाया गया है।

मैं प्रायः सेमिनारों व बैठकों में अनेक न्यायविदों, न्यायाधिपतियों (जजों), शिक्षाविदों का यही कथन होता है कि मूलतः आरक्षण केवल 10 वर्षो के लिए था, परन्तु वास्तव में आरक्षण व्यवस्था ऐसी नही है। यदि संविधान की आरक्षण सम्बन्धी अनुच्छेदों को बारिकी से अध्ययन किया जाये तो यह भ्रामक धारण दूर हो सकती है।

हम दलितों पर होने वाले उत्पीड़न भेदभाव को समाप्त कर उन्हें न्याय व गरिमा के लिए उनेक वर्षों से काम कर रहे है। आज भी कई अत्याचार परक क्षेत्रों के दलित विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्र के सभी थानाधिकारियो का मौखिक आदेश दे रखे है कि उनके थानों में दलित उत्पीड़न के मामले अनुसूचित जाति /जनजाति कानून के अन्तर्गत दर्ज नही होने चाहिए। यदि ऐसे मामले कोर्ट के जरियें दर्ज हो तो उनमें पुलिस द्वारा एफ.आर. (झूठा) साबित करना चाहिए।

इन परिस्थितियों में हम दलित विधायको से क्या अपेक्षा कर सकते है। हम इस आरक्षण के खिलाफ नही है परन्तु इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए। हम वंचित वर्गो को सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिए लगातार संघर्षरत है और मांग करते रहे है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लीक से हटकर कारगर प्रयास किये जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों की आज भी बहुसंख्यक आबादी सामाजिक उत्पीडन, छुआछूत और जातिगण–भेदभाव से ग्रसित है। ये लोग दलित व वंचित वर्ग के है। अभी सरकार ने 2011 में किये गये आर्थिक, सामाजिक व जातिगत सर्वे के आंकडे प्रस्तुत किये है, ये चौंकाने वाले है। हालांकि सरकार ने जाति–गत सर्वे के आंकडे उजागर नही किये है। परन्तु इन आंकडों से जो भी बाहर आया है वह यह दर्शाता है कि जिन परिवारों के आंकडों को दिखाया गया है व बहुसंख्यक दलित व गरीबो की स्थिति को दर्शाते है। इन आंकडों को भी हम पूरा नही मानते है चूंकि इनमें घुमन्तु, अर्धघुमन्तु व पूर्णयता आश्रयहीन लोगों को शामिल नही किया है।

राजस्थान के कुछ आंकडे नीचे दिये गये हैः–

1. राजस्थान में कुल 1.02.22.227 परिवार है।
2. इन परिवारों में से 97 प्रतिशत परिवार आयकर नही देते है।
3. इन परिवारों में से 38 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है तथा वे दिहाडी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है।
4. इनमें 0.47 प्रतिशत ऐसे घर है जिनकी कोई आय नही है वे केवल भीख मांगकर गुजारा करते है।
5. पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 5.58 प्रतिशत परिवार ऐसे है जो राजकीय/सरकारी सेवा में है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के 73.11 प्रतिशत परिवारों की मासिक आमदनी 5000/– रूपये से कम है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत परिवारों के पास फ्रिज नही है।
8. केवल 8.42 प्रतिशत घरों में किसान कार्ड है जो 50000/रूपये तक का लोन ले सकते है।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में 47.85 प्रतिशत निरक्षर है।
10. 14.68 प्रतिशत परिवारों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से पहले ही स्कूल छोड देते है।
11. 13.82 प्रतिशत घरों के बच्चे प्राईमरी स्कूल तक पढ़े हुये है।
12. 10.66 प्रतिशत मिडल–क्लास तक पढ़े है।
13. 6.08 प्रतिशत सैकण्डरी तक शिक्षित है।
14. 3.81 प्रतिशत हायर–सैकण्डरी पास है।
15. 2.95 प्रतिशत स्नातक या स्नातोत्तर पास है।
16. 0.41 प्रतिशत परिवार पब्लिक सेक्टर सेवाओं में है।
17. 2.86 प्रतिशत परिवारों के लोग प्राईवेट सेक्टर में सेवारत है।
18. 31.83 प्रतिशत परिवारों के पास कोई फोन नही है।
19. 46.13 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूखण्ड तो है परन्तु सिंचाई की कोई सुविधा नही है।
20. ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 12.44 प्रतिशत परिवार ही ऐसे है जिनके पास सिंचाई के साधन है।
21. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे परिवार है न्हि शुद्ध पेयजल उपलब्ध नही है।

उपरोक्त आंकडे चौकाने वाले है और ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक व सामाजिक असमानता की गहरी रवाई को दर्शाते है। इस असमानता के शिकार ज्यादातर दलित व वंचित वर्ग के लोग है जो कि आज भी हाशिये पर है। इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को कुछ हद तक कम करने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी परन्तु सरकारों ने इस आरक्षण व्यवस्था को तथा दलितों व

महिलाओं पर होने वाले उत्पीडन को रोकने के लिए जो कठोर रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिऐ था, लेकिन नही हुआ। यदि सरकार वास्तव में इस असमानता की खाई को कम करना या पाटना चाहती है तो नये सिरे से ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर गंभीर विचार विमर्श कर प्राकृतिक संसाधनों व उत्पादन के साधनों में दलितों, गरीबों, महिलाओं व वंचितों को भागीदार बनाने के लिए कठोर पग उठाने होगें। गरीबों में जो भूमिहीन है उन्हे सिंचाई साधनों के साथ कुषि भूमि उपलब्ध कराई जावे, जिनके पास कृषि भूखण्ड है उन्हे सिंचाई आदि के साधन उपलब्ध कराये जायें। जो लोग गांव में रहकर कुटीर उद्योग खोलकर नई तकनीक अपनाना चाहते है उनके लिए पूरे अवसर व संसाधन दिये जावे। जातिगत भेदभाव व छुआछूत को खत्म करने के लिए सरकार व गांव के भद्र लोग आगे आवे। आज पंचायतों के पास विकास के लिए काफी अवसर व संसाधन दिये जा रहे उनमें दलितों व महिलाओं को सक्रिय रूप से नेतृत्व व भागीदारी दी जावे। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों ही दशा को सुधारा जावे। गांव में स्वरोजगार के अवसर बढायें जावे।

सरकार का तर्क कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए समुचित फण्ड नही है। परन्तु यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो तो पर्याप्त फण्ड जुटाया जाता है। आज राष्ट्रीयकृत बैंको के पास बड़े–बडे उद्योग़पतियों, रसूकदार लोगों, कार्पोरेट लोगों व कम्पनियों में के लगभग 50 लाख करोड का ऋण वसुलना बाकी है। लोन के एवज में जो उनकी सम्पति गिरवी है। जिसको NPA (Non Protective Assets) के नाम से बैंको के खातों में दर्ज किया गया है। परन्तु चूंकि ये बड़े–बड़े उद्योगपति, सेठ, व्यवसायी घराने, रसूकदार लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नही करना चाहती अतः इनके कारण बैंक भी असहाय है।

अतः सुझाव है कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो NPA की जो सम्पति बैंको के पास है उसको नीलाम करके कम से कम 20–30 लाख करोड़ पैसा तो वसूल हो ही सकता है, उस पैसे को ग्रामीण विकास कार्य–कर्मो में लगाया जा सकता है।

(पी.एल.मीमरौठ)
मुख्य कार्यकारी
दलित अधिकार केन्द्र, राज.
112, सूर्य नगर,
गोपालपुरा बाईपास,

जयपुर–302015
मो. 9351317611
फोन नं. 0141–2504837, 2504119 (कार्यालय)
ई–मेल :–cdrjaipur@gmail.com